अपील सूचना अधिकार संख्या 70/2017 अनवानी बन्सीलाल रोहीला गांव बेही डा0 जम्बल तहसील देहरा जिला कांगडा (हि0प्र0 बनाम तहसीलदार, श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17—10—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बन्सीलाल रोहीला उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री बन्सीलाल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दो अलग–2 प्रा0 पत्रो दिनांक 26.07.17 व 28.08.17 के द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी श्री बन्सीलाल रोहीला ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 26.07.17 व 28.08.17 के द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

आवेदन पत्र दिनांक 26.07.17 के द्वारा चाही गई सूचनांएः—

निवेदन है कि जरनेल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह चक 1 ए.पी.डी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर के नाम राजेशकुमार पुत्र हुक्मचंद रजिस्टरी पंजिकृत करवाई है। निम्नलिखित सूचना प्रदान करने की कृपा करेंः—

1—रजिस्टरी दिनांक 14.9.2012 पंजीकृत की सत्यापित प्रतिलिपि मय नकल जमाबन्दी खवेट 25 प0न0 242/373

2—पावर ऑफ अटोर्नी जो वकीलो देवी पत्नि हुक्मचन्द ने राजेशकुमार के नाम जारी की है सत्यापित प्रतिलिपि।

आवेदन पत्र दिनांक 28.08.17 के द्वारा चाही गई सूचनांएः—

निम्नलिखित सूचना/ब्यौरा दिये जाने की कृपा करेंः—

1—दिनांक 14.09.12 को तहसीलदार द्वारा जरनेल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह 1 एपीडी तह0 विजयनगर के नाम भूमिमु. 5, 242/373 रजिस्टरी पंजीकृत हुई है।

2—पंजीकृत अधिकारी का नाम वा यह किस दिनांक से तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत रहा हैः—

3—दिनांक 14.09.12 को जरनेल सिंह उपरोक्त की रजिस्टरी पंजीकृत हुई। पंजीकृत रजिस्टरी के साथ सलंग्न नकल पर्चा मु0न0 5, 242/373 किस पटवारी द्वारा जारी किया गया। किस दिनांक से पटवारी राजस्व सर्किल 3 केएसडी सुखचैनपुरा तह0 विजयनगर में तैनात रहा है।

अपीलार्थी के अपील पत्र एवं आवेदन पत्रो की प्रतियां कार्यालय के पत्र सं0 1784 दिनांक 1710.17 के द्वारा तहसीलदार, श्रीविजयनगर को भिजवाई जाकर टिप्पणी मय संबंधित रिकार्ड चाहा गया था जो उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचनांए दस्तावेजो के पंजियन से संबंधित है। अपीलार्थी ने उक्त सूचनांए तहसीलदार, श्रीविजयनगर से चाही है। तहसीलदार, श्रीविजयनगर तहसीलदार के साथ साथ पदेन उप पंजीयक श्रीविजयनगर भी है। पदेन उप पंजीयक की हैसियत से वे दस्तावेजात के पंजीयन संबंधी कार्य करते है। अपीलार्थी द्वारा जो सूचनांए चाही गई है उन पर तहसीलदार द्वारा पदेन उप पंजीयक की हैसियत से ही निर्णय लिया जाना है और अभी तक तहसीलदार, श्रीविजयनगर द्वारा उप पंजीयक की हैसियत से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में कोई निर्णय लिया जाकर अपीलार्थी को सूचित नही किया गया है।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज0 अजमेर के आदेश संख्या एफ2(30) स.अ../नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार समस्त उप पंजीयक पूर्णकालीन एवं पदेन (उनके कार्यालय के लिए) प्रथम अपील अधिकारी संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक राज0 होगें। इस प्रकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस प्रकरण में अपील अधिकारी की हैसियत से अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही रखते है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी को हिदायत की जाती है कि वह उप पंजीयक श्री विजयनगर के विरूद्ध अपील उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार श्रीविजयनगर पदेन उप पंजीयक को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर